संख्या:180/2015/1743जेएल/22-3-15-100(111)/2014

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 22 जून, 2015***

विषय: जिला कारागार-मुरादाबाद में निरूद्ध 04 बंदियों को अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-18597/सामा-1(3)/29/मुरादाबाद मं0/2007, दिनांक 29-05-2015 में की गयी संस्तुति एवं मा0 विचारण न्यायालयों द्वारा प्रदान की गयी अनुमति/प्रतिबन्धों के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार-मुरादाबाद में निरूद्ध निम्नलिखित बंदियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र0	विचाराधीन बंदी का नाम/पिता का नाम	निरूद्धी की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहाँ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	मुकर्रब पुत्र श्री मुल्ला जफर	जिला कारागार, मुरादाबाद।	जिला कारागार, मथुरा।
2	अरशद पुत्र श्री राशिद	जिला कारागार, मुरादाबाद।	जिला कारागार, हरदोई।
3	बब्बन पुत्र श्री जहीर	जिला कारागार, मुरादाबाद।	जिला कारागार, बाराबंकी।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:180/2015/1743जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद।
3. वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद।
4. अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा/हरदोई/बाराबंकी।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।